(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/62/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021/125

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अमित कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल, नि0 भगतजी कॉलोनी, शौकीन प्रोपर्टीज के पास, टपूकडा, तिजारा, जिला–अलवर (राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 20.09.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01.11.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 17.06.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद सं0 12 दिनांक: 11.01.2021 ब.उ. भजनलाल, अशोक कुमार बनाम बनवारीलाल के संबंध में प्रतिवादी बनवारीलाल को कोर्ट नोटिस करवाने, नोटिस किसके द्वारा प्राप्त किए, उसकी रिसीविंग प्रति व अन्यादि कुल 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांक: 14.08.21 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही ई–मेल के जरिये भी जवाब–नोटिस प्रेषण हेतु सूचित किया गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर परीक्षण किया। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा चाही गई प्रश्नगत सूचनाऐं काल्पनिक, प्रश्नात्मक प्रकृति की हैं एवं **न्यायालय पत्रावली से संबंधित है जो कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही देय है** फिर भी सूचना आवेदन का निस्तारण किया जाना एक विधिक प्रक्रिया है जिसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है जिसका प्रत्यर्थी द्वारा अनुसरण नहीं किया गया है एवं किसी प्रकार का विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित भी नहीं किया है। जो उचित नहीं है एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति प्रत्यर्थी कार्यालय की उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

7. **प्रथम अपील खारिज** की जाती है किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों पर प्रावधित नियमों के तहत अविलम्ब विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित करें, साथ ही उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत अपीलों के परिप्रेक्ष्य में समय पर जवाब प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करें। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावर्ति ना हो।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित ।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)